न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 02/2017 (उदयपुर आर्डर)

श्रीमती टमूबाई पत्नी वेणा जी बलाई (सालवी), निवासी चंगेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट/प्रार्थीया

बनाम

1. ऊंकार पिता काना उर्फ किशना जी बलाई (मृतक) के बजाय :–

1/1. भैरूलाल पिता मोहनलाल जी बलाई, निवासी चंगेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2. मोहन पिता काना उर्फ किशना जी बलाई (मृतक) के बजाय :–

2/1. रूपलाल पिता मोहनलाल जी बलाई, निवासी चंगेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2/2. माधू पिता मोहनलाल जी बलाई, निवासी चंगेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2/3. चतरभुज पिता मोहनलाल जी बलाई, निवासी चंगेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2/4. श्रीमती शामुडी पिता मोहनलाल जी बलाई, निवासी चंगेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

3. श्रीमती भंवरी पत्नी वरदा जी बलाई, निवासी निमडी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

4. माधु मुतबन्ना वरदा जी बलाई, निवासी निमडी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

5. जगदीश पिता मोडदास जी वैरागी, निवासी निमडी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

6. सुडदास पिता भगवानदास जी वैरागी, निवासी निमडी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

7. वेणा काना उर्फ किशना जी बलाई (मृतक) के बजाय :–

7/1. श्रीमती मीना (पिता वेणा जी) पत्नी शंकरलाल जी बलाई (सालवी), निवासी चंगेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

7/2. सुश्री सीमा पिता वेणा जी बलाई (सालवी), निवासी चंगेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..........रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:39:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश
41 नियम 19 जाब्ता दीवानी
———/———

उपस्थित :— 1— श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्ट/प्रार्थीया
2— श्री पन्नालाल मारू अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी सं. 1/1

———::———

निर्णय **दिनांक 30—05—2024**

अपीलान्ट/प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त मामले में दिनांक 06—12—2016 की पेशी नियत थी तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. भेजने हेतु प्रस्तुत नहीं करने से प्रकरण अदम तकमील में खारिज कर दिया गया था। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश की अनुसूचित जाति की महिला होने से अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सकी तथा पैसों की व्यवस्था नहीं होने से प्रोसेज व रजिस्ट्री खर्चा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। साथ ही रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 की नामकायमी का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जा रहा है। पूर्व में प्रस्तुत नहीं किये जाने का पर्याप्त कारण है। अतः अपील पुनः नंबर पर लिये जाने का आदेश फरमावें।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अपीलान्ट/प्रार्थीया अपने प्रकरण के प्रति काफी लापरवाह हैं इसी कारण इनका प्रकरण अदम तकमील में खारिज हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट/प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 78/2013 न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक अदम तकमील में खारिज कर दी गयी थी, जिसे पुनः नंबर पर लेने का प्रार्थना पत्र अपीलान्ट/प्रार्थीया द्वारा दिनांक 29—12—2016 को प्रस्तुत कर दिया गया था, जो समयावधि में प्रस्तुत किये जाने से न्यायहित में स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः अपीलान्ट/प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील संख्या 78/2013 पुनः नंबर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जावे। यह पत्रावली मूल पत्रावली के साथ संलग्न होकर दिनांक 16.07.2024 को पेश हो।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
द्वितीय राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:39:48 IST
Reason: SelfAttested